न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाड़ा

बजरिये श्री सी.एल.शर्मा आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	60/2021
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2021/42
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	01.01.2021
प्रकरण निर्णय होने की दिनांक	25.03.2021

अनवान

1–सम्पतसिंह पि.बालूराम मेहता नि.अण्टाली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा — प्रार्थी

बनाम

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा — अप्रार्थी

उपस्थिति –अधिवक्ता प्रार्थी	श्री विवेक कुमार बम्ब
उपस्थितिः- अधिवक्ता अप्रार्थी	पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

(1) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात वाके ग्राम अण्टाली पटवार हल्का अण्टाली तहसील आसीन्द के खाता संख्या 963 की रूह से आ.नं.1763 रकबा 0.55 हैक्टर में से दान करने के बाद 0.27 हैक्टर व आ.नं.1767 रकबा 0.81 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर दान करने के बाद 0.41 हैक्टर शेष रही है। उपरोक्त आराजी में से दान करते वक्त प्रार्थी ने आ.नं.1767 में से शेष रहे रकबे में जाने के लिये 15 फीट चौड़ा आराजी के समान्तर लम्बा रास्ता प्रार्थी के नाम पर रखा गया है जो पूर्व से पश्चिम लम्बा व दक्षिण दिशा की तरफ सुरक्षित रखा गया।

(2) उक्त दान-पत्र की अनुपालना में दान गृहिता के नाम खाता खुला और राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद सम्पूर्ण दान की जमीन का व नक्शे में सम्पूर्ण जमीन अंकन कर दिया जो गलत है। लेकिन रास्ता जो प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 1767 के शेष रकबे में आने जाने के [illegible] रखा था उसको भी मर्ज कर रेकार्ड में व नक्शें में इन्द्राज कर दिया जो गलत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:35:50 IST
Reason: SelfAttested

(3) यह है कि राजस्व कर्मचारियों ने उक्त तकनीकी गलती की है तथा पुनः दान में वर्णित आ.नम्बर 1767 में से शेष रकबा में आने जाने के लिये 15 फीट चौड़ा व जमीन के समान्तर लम्बा रास्ता का अंकन राजस्व रेकार्ड व नक्शे में किया जाना न्यायोचित है। वर्तमान में प्रार्थी की आ.नं.1767 है।

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

(4) अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी खिलाफ विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर पूर्व नम्बर 1767 रकबा 0.41 हैक्टर में जो वर्तमान में आराजी नम्बर 1767 है में आने-जाने के लिये 15 फीट चौड़ा (दान के अनुसार) व जमीन के समान्तर लम्बा रास्ता का अंकन राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शे में अमल दरामद करने का आदेश पारित फरमाया जावें।

(5) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

(6) प्रकरण में वकील प्रार्थी की इस्तदुआ पर उभय-पक्ष बहस वकील सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया और कथन किया कि संलग्न दान-पत्र के अनुसार रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड व नक्शे में किया जाना न्याय संगत है। पैरोकार सरकार ने कथन किया कि प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं होता है।

(7) बहस वकील उभय-पक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों / संलग्न दान-पत्र की फोटो-प्रति का अवलोकन करने पर मुताबिक दान पत्र में वर्णित नजरी नक्शे के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज व राजस्व नक्शे में तरमीम होना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है -

◀ क्रियात्मक आदेश ▶

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पंजीकृत दानपत्र क्रमांक 201603259100056 दिनांक 21.01.2016 में अंकित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम अण्टाली के आ.नं. 1767 रकबा 0.41 में आने जाने के लिये राजस्व रेकार्ड एंव राजस्व नक्शें में जरिये संशोधित तरमीम रास्ते के अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें एंव दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:35:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / रीडर / 2021 / 139 दिनांक 30.3.2021

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में आवश्यक इन्द्राज करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा